दि. 14-11-17
पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब अवकाश पर है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
29-12-17 को पेश हो।

दि. 29-12-17
पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित
आज साहब प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
5-2-2018 को पेश हो।

दि. 5-2-2018
पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब राजकीय आवश्यक कार्य में व्यस्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
12-3-2018 को पेश हो।

दि. 12-3-2018 अपील उपस्थित पक्षकारान उपस्थित अपीलार्थी, अप्रार्थी सं. 1 से 12 तक के नये PIF नोटिस पेश करने हेतु समय चाहते हैं। न्यायहित में समय दिया जाता है। पत्रावली दि. 30-4-18 को पेश हो।

दि. 30-4-18.
पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित।
आज साहब चुनाव कार्य में व्यस्त है
पत्रावली दि. लोक अदालत भूतगांव में पेश हो
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक
11-5-2018 को पेश हो।

अचलाराम

आदेश दिनांक 11-5-2018
(लोक अदालत)

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभि. 2018 के तहत लोक अदालत भूतगांव में मेरे समक्ष पेश हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थी मांगूदेवी, धनाराम तथा अप्रार्थीगण केसाराम, रुपाराम, रुपाजी, वगताजी, भूराजी, केसाराम, सवाराम, नेनू मुनी

खेमाराम
रूपाराम
रमेश

मालाराम
भूतानी
केसाराम
सेणाराम

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

Page Continue

पप्पू मीठी, दल्ला इत्यादि उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की इस प्रकरण नं. 9/07 सी.पी.सी. पर बहस सुनी गई। अप्रार्थी स्टेट की ओर से उपतहसीलदार कालन्द्री व भू.अ.नि. जावाल ने संयुक्त रूप से जवाब पेश किया जिसे शा. मि. किया। दौराने सुनवाई वकील प्रार्थीगण ... अप्रार्थी स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि विचाराधीन यह प्रार्थनापत्र आ. 9/07 सीपीसी का इस न्यायालय द्वारा वाद बाबत मूलवाद धारा 53 R.T.Act में इस न्यायालय द्वारा एकतरफा निर्णय व डिक्री दि. 10-10-2011 को निरस्त करने संबंधी है। चूंकि श्रीमान के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10-10-2011 के विरुद्ध प्रार्थीगण को कानूनी तौर पर सक्षम न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी जो अपील नहीं की गई है तथा विचाराधीन प्रकरण को लगभग 6 वर्ष हो चुके है व अनावश्यक पत्रावली में चल रहा है जो कि यह प्रार्थना पत्र खारिज किए जाना उचित है। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस न्यायालय द्वारा मूलवाद धारा 53 R.T.Act में एकतरफा निर्णय व डिक्री दि. 10-10-2011 को जारी हुई है इस सम्बन्ध में प्रभावित पक्षकारान प्रार्थीगण को उक्त एकतरफा निर्णय व डिक्री दि. 10-10-2011 के विरुद्ध विधिवत रूप से सक्षम न्यायालय में अपील का प्रावधान होने से समयावधि के भीतर अपील करनी चाहिये थी, लेकिन प्रार्थीगण ने अपील न कर यह प्रार्थनापत्र आ. 9 नि. 7 सीपीसी का पेश किया है जो कि विधि के विरुद्ध है तथा विचारण इस प्रकरण को

सुनी
तरसी
मीरी
देवी
भगवाराम

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

चलते हुये करीबन छः साल हुये है लेकिन
अभी तक प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण
सभी को नोटिस तामील की प्रक्रिया पूर्ण
नही हुई है। जबकि सीपीसी के आ० 9 नि० 5
के तहत प्रार्थीगण को सभी अप्रार्थीगण
को नोटिस तामील की प्रक्रिया 30 दिन
के भीतर पूर्ण करनी चाहिये थी। इस
प्रकार उपरोक्त प्रार्थनापत्र विधि के विरुद्ध
खारिज योग्य होने से खारिज किया
जाता है। आदेश आ० को० क० कैम्प कोर्ट
मूलगांव मे मजमे आम मे सुनाया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से
कम हो।

(हस्ताक्षर)
11/5/18